

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1368/2024/10-11/563

भोपाल, दिनांक 25-01-24

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वन मण्डल, धार, म.प्र.।

विषय:-धार जिले के अन्तर्गत ग्राम देलमी में सिंचाई कार्य के लिए पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0884 हेक्टेयर वनभूमि श्री नजमुद्दीन आबिद हुसैन, धार को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण FP/MP/Pipeline/151530/2022)

संदर्भ:-मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर का पत्र क्रमांक/तकनीकी/23/5763 दिनांक 21.12.2023

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) इन्दौर द्वारा उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। इस कार्यालय द्वारा प्रकरण राज्य शासन को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु भेजा गया।

प्रकरण में राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन के पूर्व निम्न जानकारी चाही है:-

1-प्रकरण में आवेदक संस्थान एक व्यक्ति है क्या यह कोई निजी परियोजना है। प्रकरण में 84 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

2-प्रकरण में परियोजना से कितने रकबे की सिंचाई होगी, कितने किसान लाभांवित होंगे, उल्लेख नहीं है।

3-पानी का source क्या है, ये भी उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त जानकारी से इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि प्रकरण की वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जा सके।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1368/2024/10-11/564

भोपाल, दिनांक 25-01-24

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

2- श्री नजमुद्दीन आबिद हुसैन, पता- 20-25 बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बोहरा बाखल, धार जिला-धार, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल